न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सि
आ

प्रकरण संख्या 15/2023

जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

–

बनाम

श्री राधेश्याम अग्रवाल पुत्र श्री बनवारी लाल अग्रवाल मालिक अग्रवाल गारमेन्ट्स एवं डिपार्टमें स्टोर, ग्राम खान्दवा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।

––अप्रार्थी

प्रार्थना मुकदमा अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 45 लीटर 45 लीटर पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक जरिकेन को राजसात करने बाबत।

––

उपस्थितः–

1. श्री विकास महला, प्रर्वतन अधिकारी (विभागीय प्रतिनिधि) –प्रार्थी की ओर से उपस्थित
2. श्री शिवहरि प्रसाद, एडवोकेट–अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.

प्रार्थी जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम की धार अन्तर्गत प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, के आदेश कमांव (8)(5)सर्तकता/जांच/2021/2151 दिनांक 21.12.2022 की अनुपालना मे सर्तकता मे श्र कुमार द्वारा विरूद्व श्री राधेश्याम अग्रवाल पुत्र श्री बनवारी लाल अग्रवाल मालिक अग्रवाल गारमे डिपार्टमेन्टल स्टोर, ग्राम खान्दवा द्वारा डीजल/पेट्रोल के अवैध भण्डारण व बिक्री की शिकाय होने पर मैं कपिल झाझडिया जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं बहमराह विकास महला, प्रर्वतन अ बुहाना, कमल कुमार मीणा, प्रर्वतन निरीक्षक, मलसीसर जांच हेतु खान्दवा, तहसील बुहाना पहुं खान्दवा, तहसील बुहाना पहुंच कर शिकायतकर्ता श्री सुरेश कुमार से सम्पर्क कर मौका स्थल अग्रवाल गारमेन्ट्स एवं डिपार्टमेन्टल स्टोर पर बुलाया गया। मौके पर राधेश्याम अग्रवाल बनवारी लाल अग्रवाल मालिक अग्रवाल गारमेन्ट्स एवं डिपार्टमेन्टल स्टोर पर उपस्थित थे उपस्थिति मे स्टोर की तलाशी ली जाने पर पेट्रोल और डीजल भण्डारण नही पाया उपस्थित शिकायतकर्ता श्री सुरेश कुमार ने हस्तलिखित कच्चा बिल जिसमे 10 बार बिक्रि वि विवरण दर्ज है प्रस्तुत कर बताया कि श्री राधेश्याम द्वारा अपने घर पर पेट्रोल–डीजल का भण्ड रखा है। श्री राधेश्याम अग्रवाल की उपस्थिति मे निरीक्षण पर ग्राम खांदवा मे स्थित उनके नि साथ बने नोहरे मे एक कमरे मे 3 प्लास्टिक जरीकेन सफेद रंग भराव क्षमता 30 लीटर, प्लास्टिक जरीकेन सफेद रंग नीला ढक्कन भराव क्षमता 20 लीटर रखे पाये गये जिनकी जांच करने पर दो प्लास्टिक ड्रम मे कुल 45 लीटर डीजल व दो प्लास्टिक ड्रम मे कुल 45 लीट

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:51 IST
Reason: SelfAttested

भण्डारित पाया। मौके पर 45 लीटर डीजल व 45 लीटर पेट्रोल भण्डारित पाये जाने एवं बिक्री व साक्ष्य के रूप मे शिकायत के सत्यापन व श्री सुरेश कुमार से हस्तलिखित कच्चा बिल पाये ज श्री राधेश्याम अगवाल पुत्र श्री बनवारी लाल से डीजल व पेट्रोल अपने अधिकार मे रखने व बिक्री के संबंध मे कोई दस्तावेज मांगे जाने पर उपब्ध नही करवाये। बिन्दू सं0 1 से 6 के तथ्यों के पर मौके पर उपलब्ध 45 लीटर डीजल व 45 लीटर पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक जरीकेन को मोट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 20 धारा 2(Q)(R) व धारा 3(4)(6) का स्पष्ट उल्लघंन पाये जाने पर आदेश की धारा 7 व प्रदत्त शक्तियों के अनुशरण मे जब्त सरकार किया गया व सुरक्षा की दृष्टि से जांच मे सहय मौके पर बुलाये गये श्री अशोक कुमार, उचित मूल्य दुकानदार, खान्दवा, तहसील बुहाना, प्र संख्या 1011/02 की सुपुर्दगी मे दिया गया। इस प्रकार उपर्युकत तथ्यों से स्पष्ट है कि अग्रवाल पुत्र श्री बनवारी लाल अग्रवाल मालिक अग्रवाल गारमेन्ट्स एवं डिपार्टमेन्टल स्टो खान्दवा, तहसील बुहाना द्वारा डीजल का अवैध भण्डारण एवं विक्रय कर आवश्यक वस्तु अ 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का वि और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा 2(Q)(R) व धारा 3(4)(6) का स्पष्ट किया है। अतः उपर्युक्त जब्तशुदा 45 लीटर डीजल व 45 लीटर पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक जरी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का कष्ट करें। चूंकि एवं पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है व इसमे छीजत की संभावना है। अतः उक्त डीजल के निस्तारण आदेश जारी करने का भी कष्ट करें।

बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित त पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि सर्तकता मे प्राप्त शिकायत की जांच करने पर अप्रार्थी लीटर डीजल व 45 लीटर पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक जरीकेन जप्त किया गया है। अप्रार्थी के प लाईसेन्स डीजल व पेट्रोल के विकय बाबत नही था। डीजल व पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील जिसके कारण हादसा होने की संभावना बनी रहती है। अप्रार्थी से मौके पर 45 लीटर डीजल लीटर पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक जरीकेन जप्त हुई है जो डीजल–पेट्रोल विकय का प्रमाण है। अ इतनी मात्रा मे डीजल व पेट्रोल भण्डारण कर रखना नियमों के विपरीत है एवं सुरक्षित भी अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे स्वीकार कर जप्तशुदा अप्रार्थी लीटर डीजल व 45 लीटर पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक जरीकेन के निस्तारण के आदेश फरमाने करे।

वकील अप्रार्थी ने विभागीय प्रतिनिधि के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत कि अप्रार्थी के पास ब्रेजा गाडी है जिसमे मे डालने के लिए अप्रार्थी पेट्रोल लाया था व डीजल दू मे डालता है। अप्रार्थी पर मुकदमा झूठा बनाया गया है। अप्रार्थी डीजल व पेट्रोल विकय कर इसके कोई साक्ष्य नही है। विभागीय प्रतिनिधि ने डीजल व पेट्रोल विकय के प्रमाण स्वरूप क पेश नही किया है। अतः अप्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे एवं प्रार्थी का य पत्र खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:51 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अव किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी से मौके पर 45 लीटर डीजल व 45 पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक जरीकेन जप्त हुई है। अप्रार्थी का इतनी मात्रा मे डीजल व पेट्रोल भण्डार रखना नियमों के विपरीत है एवं सुरक्षित भी नही है। अतः प्रकरण मे डीजल व पेट्रोल में छीज हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये व आगजनी से बचने के लिए इस डीजल व पेट्रोल का नि किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये अप्रार्थी से जप्तशु लीटर डीजल व 45 लीटर पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक जरीकेन को आवश्यक वस्तु अधिनियम की ध (2) के तहत अधिहरण किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्तशुदा अप्रार्थी लीटर डीजल व 45 लीटर पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक जरीकेन का आवश्यक वस्तु अधिनियम की ध के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत राजसात कर खुली निलामी मे विक्रय कर राशि को राजकोष करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.03.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ग

(लक्ष्मण सिह कु
जिला कलक्टर
जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:51 IST
Reason: SelfAttested